बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्रजातंत्र के इस पावन मंदिर में लगातार पांचवी बार प्रदेश का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष एवं गौरव का अनुभव हो रहा है।

2. हर्ष इसलिये कि हमने पिछले चार वर्षों में प्रदेश की जनता को कटु स्वाद के स्थान पर राहत और विकास का अमृत पान कराया है। और इस पांचवें वर्ष में भी पंचामृत का पान करा रहे हैं।

3. गौरव इसलिये कि हमने जो कहा था वह करके दिखाया है। पटरी से पूरी तरह उतर चुकी गाड़ी को न केवल पटरी पर खड़ा कर दिया है अपितु मंजिल की तरफ तेज गति से दौड़ाने में भी सफलता हासिल की है।

तूफान से कश्ती को निकाला ही नहीं है,
हमने उसे मंजिल का पता भी बता दिया।

4. जिस प्रदेश में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गईं थीं वहां नई और बढ़िया सड़कों का जाल बिछता जा रहा है। जहां वर्ष के 360 दिनों में 175 दिन ओव्हर ड्राफ्ट में बीतते थे वहां लगातार चार वर्षों में एक दिन भी ओव्हर ड्राफ्ट नहीं। जहां कर्मचारी एक–एक प्रतिशत महंगाई भत्ते बढ़ने के लिये तरसते थे वहां कर्मचारियों के सकल वेतन में लगभग 60 प्रतिशत वृद्धि हो गई। अनेक वर्षों से राजस्व सरप्लस का नाम सुनने को नहीं मिलता था वहां लगातार चार वर्षों से प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रूपये का निरंतर राजस्व सरप्लस हो रहा हैं। नया टैक्स न लगाने तथा अनेक वस्तुओं पर टैक्स में मुक्ति या कमी करने के बावजूद भी करों से आय में दोगुनी से अधिक वृद्धि हुई है। मैंने ये केवल चन्द उदाहरण दिये हैं।

अन्त्योदय की अवधारणा को हमने सार्थकता प्रदान की है। ''सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय'' को चरितार्थ किया है। प्रदेश की तस्वीर बदली है।

5. कविवर श्री राजेन्द्र अनुरागी की निम्न पक्तियों के साथ वर्ष 2008–09 का बजट इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित कर रहा हूं।

'' हम को यश दो बुद्धि विधाता
जन का धन दुगना लौटायें।
बादल बन धरती से जल लें,
धरती पर अमृत बरसायें।।

आर्थिक स्थिति

6. वर्ष 2006–07 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आंकलन स्थिर मूल्य पर रूपये 96,254.05 करोड़ तथा चालू मूल्य पर रूपये 1,28,201.64 करोड़ है जो गत वर्ष की तुलना में स्थिर भाव पर 4.2 प्रतिशत अधिक है। प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 2.38, 3.29 एवं 5.62 प्रतिशत है।

कृषि एवं पशुपालन

7. राज्य की सुधारवादी नीतियों के फलस्वरूप किसानों को पहले से बेहतर मूल्य मिल रहा है। किसानों को गेहूँ का उचित मूल्य दिलाने के लिये शासकीय एजेंसियों द्वारा उपार्जन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये 1000 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त रूपये 100 प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। किसानों को बाजार भाव की जानकारी सरलता से उपलब्ध कराने के लिये 64 मंडियों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया है।

8. वर्ष 2007–08 के दौरान प्रदेश में सामान्य से लगभग 27 प्रतिशत कम वर्षा हुई। पूर्वी तथा उत्तरी जिलों में वर्षा सामान्य से अत्यधिक कम है जिसके कारण इन जिलों मे खरीफ तथा रबी की फसलें प्रभावित हुई हैं। खरीफ उत्पादन के प्रारंभिक अनुमान अनुसार प्रदेश में कुल उत्पादन सामान्य रहने का अनुमान है। अल्प वर्षा से प्रभावित जिलों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में रबी उत्पादन भी सामान्य रहने का अनुमान है।

9. किसानों को देय विद्युत अनुदान को बढ़ाने तथा बकाया बिलों के भुगतान में राहत देने का निर्णय लिया गया है। अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज की दर 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जा रही है। प्रदेश में ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य अनुदान की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी गई है।

10. बलराम तालाब निर्माण के लिये अनुदान की अधिकतम सीमा बढ़ाकर रूपये 80,000 की जा रही है।

11. दुधारू पशुओं के बीमे को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम राशि पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। गोवंश की उत्पादकता वृद्धि के प्रयास से प्रदेश तथा अखिल भारतीय उत्पादकता में अंतर कम हो रहा है। उत्पादकता वृद्धि के प्रोत्साहन के लिये जनपद पंचायत स्तर पर पुरूस्कार दिया जायेगा। नंदीशाला योजना की तर्ज पर ही उन्नत नस्ल के बकरे प्रदाय किये जायेंगे।

12. कृषि क्षेत्र के विकास के लिये रूपये 1241.62 करोड़ का प्रावधान है जो गत वर्ष से 67.25 प्रतिशत अधिक है।

सिंचाई

13. विगत 4 वर्ष की अवधि में सिंचाई की लगभग 4.80 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षमता निर्मित की गई है। वर्तमान में 16 वृहद, 24 मध्यम एवं

1639 लघु योजनायें निर्माणाधीन हैं। इन योजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात् प्रदेश की शासकीय स्त्रोतों से निर्मित सिंचाई क्षमता बढ़कर लगभग 33 लाख हेक्टेयर होना अनुमानित है। आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने के लिये वर्तमान में 1.03 लाख हेक्टेयर क्षमता की 367 लघु योजनायें निर्माणाधीन हैं। वर्षों से निर्माणाधीन मान व जोबट सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई भी इस वर्ष प्रारंभ हो सकी है। निर्मित सिंचाई क्षमता का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिये पृथक से आयाकट संचालनालय का गठन भी किया गया है।

14. सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिये वर्ष 2008–09 में रूपये 1815.57 करोड़ का प्रावधान है जिसमें रूपये 1115.49 करोड़ वृहद परियोजनाओं, रूपये 155 करोड़ मध्यम परियोजनाओं तथा रूपये 526.17 करोड़ लघु योजनाओं के लिये है। इसमें विश्व बैंक से वित्त पोषित वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिये रुपये 350 करोड़ सम्मिलित है।

15. बुंदेलखण्ड क्षेत्र को सूखे की समस्या से निजात दिलाने हेतु बान सुजारा गणेशपुरा पिकअप वियर, पंचम–नगर, बीना, भितरी मुटमुरू तथा मिढ़ासन व्यपवर्तन परियोजनाएं शीघ्र प्रारंभ करने के प्रयास हैं। इन योजनाओं की क्षमता लगभग 6 लाख हेक्टेयर तथा कुल लागत रूपये 6000 करोड़ है। इनके पूर्ण होने से बुंदेलखण्ड क्षेत्र में शासकीय स्त्रोतों से सिंचाई का विस्तार 13 प्रतिशत से बढ़कर 44 प्रतिशत तक हो जायेगा।

16. इसके अतिरिक्त नर्मदा घाटी की पुनासा उद्वहन, लोअर गोई, हालोन तथा अपर नर्मदा परियोजनाएं भी शीघ्र प्रारंभ की जा रही हैं। इनकी कुल क्षमता 76 हजार हेक्टेयर है।

ऊर्जा

17. प्रदेश को विद्युत संकट से उबारने में हमें काफी सफलता मिली है। वर्ष 2001 से 2003 की अवधि में मात्र 60 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन

क्षमता निर्मित हुई थी जबकि वर्ष 2004 से 2007 की अवधि में 2936 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता निर्मित की गई है। कृषि के लिये पर्याप्त तथा उद्योगों को अनवरत विद्युत–आपूर्ति उपलब्ध है। नलकूपों तथा कुओं से वर्ष 2003–04 में मात्र 37.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हुई थी जबकि बिजली की अच्छी उपलब्धता के कारण वर्ष 2006–07 में 41.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई है। इसी प्रकार औद्योगिक विकास दर वर्ष 2001–02 से वर्ष 2003–04 की अवधि में ऋणात्मक रहने के पश्चात् वर्ष 2004–05 से निरन्तर धनात्मक है।

18. केन्द्रीय उपक्रम द्वारा उपकरणों के प्रदाय में विलम्ब के कारण बीरसिंहपुर तथा सतपुड़ा विस्तार ताप विद्युत गृहों के क्रियाशील होने में देरी अवश्य हुई है तथा नर्मदा परियोजनाओं में वैधानिक कठिनाईयों के कारण उनमें पूरी क्षमता पर जल संग्रहण नहीं किया जा सका है। इनको शीघ्र दूर करने के प्रयास जारी हैं। इस वर्ष कम वर्षा से भी जल विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है। विद्युत उत्पादन में निजी पूंजीनिवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने 22 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये हैं जिनकी कुल क्षमता 24785 मेगावाट है। इनके क्रियान्वयन से राज्य में अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध हो सकेगी।

19. विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु रूपये 341.47 करोड़ का प्रावधान तथा पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल रूपये 1240.91 करोड़ का प्रावधान है जिसमें एशियन विकास बैंक से वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु रूपये 713.03 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

20. ग्रामीण क्षेत्रों की वितरण व्यवस्था के अंतर्गत घरेलू उपयोग की वितरण प्रणाली को पृथक करने हेतु रूपये 100 करोड़ का प्रावधान है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की अवधि बढ़ायी जा सकेगी।

21. कृषि पम्पों हेतु नये कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य विगत वर्षों से संसाधनों के अभाव में लगभग बंद रहा है। इसे पुनः प्रारंभ करने हेतु रूपये 50 करोड़ का प्रावधान है।

सड़क

22. सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण, उन्नयन तथा रख–रखाव के लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। वर्ष 1993–94 से माह नवम्बर, 2003 तक 10 वर्ष की अवधि में लोक निर्माण विभाग को रूपये 2,907 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गयी थी। इस अवधि में 11,011 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया है। इसकी तुलना में माह दिसम्बर, 2003 से वर्ष 2007–08 तक रूपये 8,743 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है जिससे 28,977 किलोमीटर सड़कों का निर्माण/उन्नयन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2007 तक 16089 कि.मी. लम्बाई की 3515 सड़के पूर्ण की गई हैं तथा प्रदेश के 5868 ग्रामों को बारहमासी सड़क से जोड़ा गया हैं।

23. सड़कों के निर्माण हेतु वर्ष 2008–09 के लिये कुल रूपये 1656.50 करोड़ तथा संधारण हेतु रूपये 613.51 करोड़ का प्रावधान है। इसमें राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिये रूपये 743.29 करोड़, जिला योजना अंतर्गत रूपये 552.95 करोड़, केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित सड़कों हेतु रूपये 105.85 करोड़, अंतर्राज्यीय महत्व की सड़कों हेतु रूपये 10 करोड़ तथा पर्यटन महत्व की सड़कों के लिये रूपये 52 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत उपलब्ध होने वाली राशि रूपये 1000 करोड़ इसके अतिरिक्त है।

24. एशियाई विकास बैंक से वित्त पोषित स्टेट रोड सेक्टर डेव्हलपमेन्ट प्रोग्राम अंतर्गत प्रथम चरण में 332 कि.मी. लम्बाई के 6 राज्य राजमार्गों, का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। द्वितीय चरण में सभी 18 राज्य राजमार्गो,

जिनकी कुल लम्बाई 1270 कि.मी. है, का निर्माण प्रगति पर है। तृतीय चरण अंतर्गत 1670 कि.मी. लम्बाई के 22 राज्य राजमार्गों, के विकास हेतु ऋण प्राप्त करने का प्रयास है।

25. निजी भागीदारी से चांदपुर–अलीराजपुर–कुक्षी–बड़वानी मार्ग, मटकुली–तामिया–छिन्दवाड़ा मार्ग, मंदसौर–सीतामऊ मार्ग (राजस्थान सीमा तक), भोपाल–देवास मार्ग, जावरा–नयागांव मार्ग का कार्य प्रगति पर है। लेबड़–जावरा मार्ग का निर्माण कार्य भी निकट भविष्य में प्रारंभ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त भोपाल बायपास एवं इन्दौर उज्जैन मार्ग के उन्नयन के कार्य निजी निवेश से किये जाने का प्रयास है।

शिक्षा

स्कूल शिक्षा

26. सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन से प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा हेतु अधोसंरचना की उपलब्धता तथा नामांकन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अधोसंरचना सुधार अंतर्गत नये 23,717 प्राथमिक शाला भवन, 7,996 माध्यमिक शाला भवनों तथा 31,595 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जा चुका है। 3,042 प्राथमिक शाला भवन, 7,519 माध्यमिक शाला भवन तथा 16,271 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण प्रगति पर है। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यांश के लिये रूपये 617.55 करोड़ का प्रावधान है।

27. प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में नामांकन स्तर में सुधार के फलस्वरूप उच्च माध्यमिक शिक्षा की मांग में वृद्धि हुई है। वर्ष 2007–08 में 737 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में तथा 185 हाईस्कूलों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन किया गया है। आगामी वर्ष में 448 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन प्रस्तावित है। गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षकों के 15,439 नवीन पदों की स्वीकृति भी दी गई है।

28. अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये 20 नवीन छात्रावास स्थापित करने तथा 2000 सीटों की वृद्धि करने का कार्यक्रम है। इसी प्रकार 20 नवीन आश्रम स्थापित करने, सीट क्षमता में 1000 की वृद्धि तथा दो नवीन पोस्ट मेट्रिक छात्रावास खोलने का भी प्रस्ताव है।

29. कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क साईकिल, गणवेश तथा पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। **''गावं की बेटी योजना''** तथा **''प्रतिभा किरण योजना''** सफल तथा लोकप्रिय रही है। आगामी वर्ष में 254 कन्या छात्रावासों के भवन निर्माण प्रस्तावित हैं।

सुदामा छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति

30. दसवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा ग्यारहवीं तथा बारहवीं में पढ़ने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के छात्रों को रूपये 500 प्रतिवर्ष तथा छात्राओं को रूपये 550 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जायेगी। उत्कृष्ट विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे छात्र–छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश लेने पर रूपये 500 प्रतिमाह प्रति छात्र तथा रूपये 550 प्रतिमाह छात्राओं को शिष्यवृत्ति दी जायेगी।

उच्च शिक्षा

31. निजी क्षेत्र में उच्च शिक्षण सुविधाओं में विस्तार तो हुआ है परन्तु यह अपेक्षाकृत महंगी भी हुई है। इनका लाभ पाने से निर्धन मेधावी बच्चे वंचित न रह जायें, इस दृष्टि से निर्धन मेधावी विद्यार्थियों के लिये मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति आरंभ की जा रही है। बारहवीं की परीक्षा उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण करने वाले निर्धन परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दी जायेगी।

32. बैंक ऋण सुविधा आसानी से प्राप्त हो इसके लिये आवश्यकतानुसार गारंटी उपलब्ध कराने हेतु एक कोष की स्थापना की जायेगी।

33. संभागीय मुख्यालयों में वर्तमान में सात उत्कृष्ट महाविद्यालय संचालित हैं। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुये 38 जिलों में एक–एक उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित किया जायेगा।

34. जनभागीदारी से चिकित्सा शिक्षा के विस्तार हेतु चिकित्सा महाविद्यालय तथा नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। आगामी वर्ष में रतलाम में जनभागीदारी से चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की कार्यवाही की जायेगी। निजी क्षेत्र में भोपाल में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु भूमि आवंटित की गई है।

स्वास्थ्य

35. स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा गुणवत्ता सुधार के लिये आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराने को राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी है। चिकित्सा सुविधा का विस्तार करने के लिये आदिवासी विकास खण्डों में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना प्रारंभ की गई है। आगामी वर्ष में अनुसूचित बाहुल्य विकासखण्डों में इसका विस्तार प्रस्तावित है।

36. नई दवा नीति के कारण कम मूल्य पर उत्कृष्ट गुणवत्ता की दवाईयां उपलब्ध हुई हैं। 27 जिलों में वेयर हाउस स्थापित किये जा चुके हैं तथा इन्हें कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया है। इस प्रणाली से औषधियों की उपलब्धता का प्रभावी अनुश्रवण किया जा सकेगा।

37. दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के अतिरिक्त अन्य अल्प आय वर्ग के परिवारों को भी देना प्रस्तावित है।

38. असंगठित वर्ग के कामगारों के लिये 10 जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अगले वर्ष प्रारंभ की जायेगी। इसके अंतर्गत रूपये 30 हजार तक की सीमा तक ईलाज पर व्यय की पूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जायेगी तथा बीमा प्रीमियम की राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा।

39. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत रूपये 1077.58 करोड़ का अनुदान प्राप्त होना अनुमानित है। निजी चिकित्सालयों की सुविधाओं का उपयोग भी अस्पताल में प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने के लिये किया जायेगा। गंभीर मरीजों को आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा तथा परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 100 सुसज्जित एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है।

40. ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम अंतर्गत रूपये 232.44 करोड़ तथा नगरीय जल प्रदाय योजनाओं हेतु रूपये 90.31 करोड़ का प्रावधान है। आगामी वर्ष के अंत तक शेष सभी ग्रामीण बसाहटों एवं ग्रामीण शालाओं में जल प्रदाय व्यवस्था कर दी जायेगी।

41. वर्ष 2007–08 में ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित समग्र स्वच्छता अभियान के लिये राज्यांश रूपये 45 करोड़ तथा राज्य शहर स्वच्छता मिशन हेतु रूपये 10 करोड़ का प्रावधान है।

42. वर्ष 2006–07 में 190 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरूस्कार प्राप्त हुये हैं तथा वर्ष 2007–08 में 2,724 ग्राम पंचायत तथा 3 विकासखण्डों के प्रस्ताव भारत शासन को भेजे गये हैं।

''नत्वहं कामये राज्यं, न भुक्तं न पुनर्भवं।
कामये दुःखतप्तानाम, जनानां आर्तिनाशनम्।।''

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

43. गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से अधिक रियायती दर पर खाद्यान्न वितरण करने के क्रांतिकारी निर्णय के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को गेहूँ रूपये 3 प्रति किलो तथा चावल रूपये 4.50 प्रति किलो की दर से मिलेगा। इसके लिये रूपये 160 करोड़ का प्रावधान है।

44. ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, आजीविका तथा रोजगार के अवसरों का निर्माण तथा इनके माध्यम से गरीबी उन्मूलन हमारी उच्च प्राथमिकता है। गरीबी उन्मूलन के लिये अधिक प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है। इस दृष्टि से आदिवासी बाहुल्य 8 जिलों में गरीबी उन्मूलन हेतु ग्रामीण आजीविका परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके लिये रुपये 93.23 करोड़ का प्रावधान है।

45. विश्व बैंक से वित्त–पोषित जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना की सफलता के बाद अब इसका द्वितीय चरण क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके लिये रुपये 100 करोड़ का प्रावधान है। प्रथम चरण में यह योजना 2,900 ग्रामों में क्रियान्वित की गई जिससे 3.25 लाख हितग्राहियों को लाभ हुआ।

46. जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के अनुभवों के आधार पर स्वसहायता समूह संवर्धन नीति तथा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति बनायी गई है। इनका क्रियान्वयन समन्वित आजीविका कार्यक्रम अंतर्गत स्वयं के स्त्रोतों से किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये रुपये 35 करोड़ का प्रावधान है।

47. प्रदेश में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को भारत सरकार द्वारा भी सराहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के

अतिरिक्त अवसरों के निर्माण में हमें उल्लेखनीय सफलता मिली है। इस कार्यक्रम के लिये राज्यांश अंतर्गत रुपये 566.88 करोड़ का प्रावधान है।

48. पिछड़े क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास हेतु सम विकास योजना अंतर्गत 12400 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। बेकवर्ड रीजन ग्रांट फण्ड अंतर्गत वर्तमान में लगभग 1000 कार्य प्रगति पर हैं। इस योजना हेतु रुपये 496.53 करोड़ का प्रावधान है।

49. गोकुल ग्राम तथा गोदान योजना के लिये रूपये 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

50. पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जनपद तथा जिला पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के मानदेय में वृद्धि तथा सदस्यों को मानदेय देने का प्रस्ताव है।

51. पृथक संचालनालय का गठन तथा ग्राम पंचायतों का स्वतंत्र अंकेक्षण कराने का भी सरकार ने निर्णय लिया है।

नगरीय विकास

52. शहरी विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल रूपये 629.25 करोड़ का प्रावधान है। इसमें एशियाई विकास बैंक की सहायता से चार नगरों इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर में क्रियान्वित प्रोजेक्ट उदय के लिये रूपये 340.00 करोड़ की राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर आदि का स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को अभिहस्तांकित राशि रूपये 1,573.62 करोड़ उपलब्ध कराई जायेगी।

53. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन अंतर्गत भोपाल, इन्दौर, उज्जैन एवं जबलपुर शहरों के लिये रूपये 1,858.50 करोड़ की लागत की 34 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसमें भोपाल शहर

हेतु नर्मदा का पानी लाने के लिये रूपये 306.00 करोड़ की योजना शामिल है। छोटे तथा मझौले नगरों की अधोसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत अभी तक 33 शहरों की परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के लिये रूपये 54.00 करोड़ का प्रावधान है। एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम में अभी तक 30 शहरों की रूपये 241.88 करोड़ की स्वीकृत 33 परियोजनाओं के अंतर्गत 16,795 आवासों का निर्माण शहरी गरीबों के लिये किया जायेगा। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्नवी मिशन के अंतर्गत भी प्रदेश के 4 नगरों में 32,345 आवासों का निर्माण किया जायेगा। इस प्रकार शहरी गरीबों के लिये लगभग 50 हजार आवासों के निर्माण की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रहीं हैं।

उद्योग

54. उद्योग संवर्धन नीति, 2004 को और अधिक आकर्षक बनाने के लिये इसमें आवश्यक संशोधन किये गये हैं। कृषि उद्योगों के लिये एक पृथक नीति तैयार की जा रही है। इन्दौर में आयोजित ''**ग्लोबल इन्वेस्टर समिट**'' तथा जबलपुर में आयोजित ''**इन्वेस्टर मीट**'' सफल रहीं हैं। दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कारीडोर में मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग को शामिल किया गया है। औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश के लिये आवश्यक विधिक अनुमतियां प्रदान करने की कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु प्रोजेक्ट एप्रेजल तथा स्क्रिनिंग बोर्ड के गठन का अपेक्षित लाभ मिला है। इस प्रक्रिया को विधिक आधार दिया जायेगा।

55. वर्ष 2004 से अभी तक केन्द्र सरकार के समक्ष 621 इंडस्ट्रियल एंटरप्रिन्योर मेमोरेन्डम दाखिल किये गये हैं जिनके अंतर्गत प्रस्तावित निवेश रूपये 53,323 करोड़ है। पीथमपुर स्पेशल इकानामिक जोन में 5 इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। भारत ओमान रिफाईनरी की बीना रिफाईनरी का निर्माण प्रगति पर है तथा हिण्डालको इंडस्ट्रीज द्वारा सीधी में प्रस्तावित एल्यूमीनियम परियोजना का निर्माण शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है। विगत 4 वर्षो में हुये निवेश के कारण पंजीकृत विनिर्माण के क्षेत्र में उच्च विकास दर प्राप्त हो सकेगी, ऐसा हमें विश्वास है।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

56. पर्यटन उद्योग के विकास हेतु आवश्यक सड़क तथा नागरिक उड्डयन अधोसरंचना के उन्नयन को प्राथमिकता दी गई है। शासकीय हवाई पट्टियों का प्रबंधन निजी भागीदारी में किया जा रहा है। पर्यटन केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं का विकास किया गया है। होटल टैक्स में कमी की गई है तथा **हेरिटेज होटल** के विकास हेतु उदार नीति अपनाई गई है। हेरिटेज सम्पत्तियों के मालिकों तथा होटल व्यवसायियों के मध्य संवाद स्थापित किया गया है। इन प्रयासों से प्रदेश में आने वाले घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई हैं, जिनकी संख्या में वृद्धि करने हेतु उपयुक्त नीति तैयार की जावेगी। डेस्टीनेशन टूरिज्म प्रोजेक्ट चित्रकूट के अन्तर्गत पवित्र नगर चित्रकूट एवं आसपास के नैसर्गिक सौन्दर्य एवं धार्मिक महत्व के स्थानों को विकसित किया जायेगा। पर्यटन हेतु रूपये 38.50 करोड़ तथा नागरिक उड्डयन हेतु रूपये 18.20 करोड़ का प्रावधान है।

पुलिस तथा न्याय प्रशासन

57. पुलिस तथा न्याय प्रशासन के सुदृढ़ीकरण अंतर्गत सहायक जिला लोक अभियोजक के 682 पद, जिला पुलिस बलों में महिला पुलिस अधिकारियों के 998 पद तथा नक्सली विरोधी अभियान हेतु गठित विशेष पुलिस बल ''हाकफोर्स'' के लिये 600 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जा रहे हैं। पुलिस भवनों एवं आवासगृहों के निर्माण के लिये रूपये 20 करोड़ तथा न्यायालयीन भवन निर्माण हेतु रूपये 20 करोड़ का प्रावधान है।

लोक नायक जयप्रकाश सम्मान निधि

58. लोकतांत्रिक अधिकारों की अभिरक्षा के लिये आपातकाल में न्यूनतम 6 महीने की अवधि के लिये निरूद्ध रहे मीसा बंदियों को रूपये 6,000 प्रतिमाह तथा न्यूनतम 3 माह परन्तु 6 माह से कम निरूद्ध रहे मीसा बंदियों को

रूपये 3,000 पेन्शन दी जायेगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधायें मीसा बंदियों को भी प्राप्त होंगी।

वित्तीय सेवाएं

59. प्रदेश में शतप्रतिशत वित्तीय समावेशन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पायलट परियोजना अंतर्गत हितग्राहियों को स्मार्टकार्ड जारी किये जायेंगे और शासकीय योजनाओं में उनको भुगतान की जाने वाली राशि बैंको के माध्यम से उनके खाते में जमा की जायेगी।

कुशाभाऊ ठाकरे अंशदायी पेन्शन योजना

60. आर्थिक विकास दर में वृद्धि हेतु अल्प बचत में निवेश आवश्यक है। अल्प बचत योजनाओं को राज्य सरकार प्रोत्साहित करती रही है। रूपये 50,000 प्रति वर्ष अधिकतम आय वर्ग को अंशदायी पेंशन योजना में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कुशाभाऊ ठाकरे अंशदायी पेंशन योजना आरंभ की जा रही है। इसमें राज्य सरकार अधिकतम रूपये 1000 प्रतिवर्ष समतुल्य अंशदान देगी।

प्रशासनिक सुधार

61. कर प्रणाली के कियान्वयन में कम्प्यूटर टेक्नालॉजी का उपयोग कर इसकी दक्षता में वृद्धि तथा उसे अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास है। परिवहन शुल्क के ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था सितम्बर, 2007 से प्रारंभ की गई है। नवीन वाहनों का ऑनलाईन पंजीयन वाहन विक्रेता के माध्यम से ही कराने की अब व्यवस्था है।

62. मुद्रांक एवं पंजीयन कार्यालयों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण होने पर जनसामान्य को अचल सम्पत्ति के संव्यवहारों तथा स्वत्वों के संबंध में विश्वसनीय जानकारी सरलता से उपलब्ध हो सकेगी।

63. वेट कराधान प्रणाली के प्रभावी प्रवर्तन हेतु वस्तुओं के विक्रय संव्यवहारों का डेटाबेस संधारित करने हेतु आयुक्त, वाणिज्यक कर संगठन में कम्प्यूटरीकरण का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

64. इसके अतिरिक्त सर्वाधिक कर चुकाने वाले करदाताओं को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जायेगा।

65. सामाजिक क्षेत्र के विकास संकेतकों में सुधार के लिये शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन, विस्तार एवं उन्नयन हेतु अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसके परिणाम भी दिखे हैं। मैदानी कार्यकर्ताओं को उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित प्रोत्साहन योजनाओं का विस्तार कर उन्हें अधिक आकर्षक बनाने तथा कुछ नई योजनायें प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

कर्मचारी कल्याण

66. राज्य के कर्मचारियों की परिलब्धियों, जिनमें वेतन का ढांचा, भत्ता तथा अन्य सुविधायें सम्मिलित हैं, का परीक्षण करने के लिये राज्य वेतन आयोग गठित किया गया है। आयोग अपना प्रतिवेदन 31 दिसम्बर, 2008 तक प्रस्तुत करेगा।

67. भारत सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे महंगाई भत्ते की तुलना में राज्य के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के अंतर की राशि को पाटना हमारा लक्ष्य रहा है। इस दिशा में 4 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से बढ़ाया जा रहा है, शेष 5 प्रतिशत का अंतर शीघ्र पाटा जायेगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में महंगाई भत्ते की दर में जितनी वृद्धि की जायेगी, राज्य द्वारा भी उतना अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जायेगा। इसी के अनुरूप पेन्शनरों को महंगाई राहत की दर में वृद्धि की जायेगी।

68. कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। अब समन्वय का कार्य शासन के स्थान पर जिला स्तर पर किया जायेगा। जिला कलेक्टर इसके समन्वयक होंगे।

69. संविदा एवं अंशकालिक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है :–

- आयुर्वेदिक औषधालयों में कार्यरत कम्पाउंडर तथा महिला कार्यकर्ताओं का संविदा वेतन बढ़ाकर रूपये 3000,
- औषधालय सेवक का वेतन रूपये 2500,
- स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन लिपिक का पारिश्रमिक बढ़ाकर रूपये 1500,
- अंशकालीन भृत्यों का रूपये 1200,
- अंशकालीन सफाई कर्मचारी का रूपये 500 प्रतिमाह,
- ग्राम पंचायतों के सचिवों को तीन वर्ष की सेवा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने पर वेतनमान दिया जायेगा,
- भूमिहीन कोटवार को अब रूपये 2000 प्रतिमाह पारिश्रमिक प्राप्त होगा,
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को देय मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि की जा रही है जिससे उन्हें प्रतिमाह क्रमशः रूपये 2000 तथा रूपये 1000 प्राप्त हो सके, एवं
- स्वयंसेवी होमगार्ड तथा अन्य स्वयंसेवकों को देय मानवेतन तथा भोजन राशि की दरों में रूपये 10–10 प्रतिदिन की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2007–08 का पुनरीक्षित अनुमान

70. पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राज्य की राजस्व प्राप्तियॉ रूपये 29,840.01 करोड़ तथा राजस्व व्यय रूपये 26,483.64 करोड़ है। आयोजनेत्तर व्यय का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 20,166.01 करोड़ तथा आयोजना व्यय का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 14,216.60 करोड़ है। राजस्व

आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 3,356.37 करोड़ है। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 4,499.75 करोड़ मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की अपेक्षा अनुसार वर्ष 2007–08 के लिये निश्चित सीमा के भीतर है।

वर्ष 2008–09 का बजट अनुमान

राजस्व प्राप्तियां

71. वर्ष 2008–09 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान रूपये 34,403.78 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां रूपये 14,214.30 करोड़, करेत्तर राजस्व प्राप्तियां रूपये 3,017.70 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां रूपये 10,530.74 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां रूपये 6,641.04 करोड़ अनुमानित हैं।

72. केन्द्र से राज्यों को उनकी संचित निधि के माध्यम से उपलब्ध होने वाली सहायता के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं को सीधे सहायता भी उपलब्ध हो रही है। यह धनराशि लोक वित्त का अंश है परन्तु राज्य के शासकीय लेखे का भाग नहीं। इस वर्ष से केन्द्र सरकार से राज्य द्वारा प्रायोजित संस्थाओं को प्राप्त होने वाली सहायता राशि का विवरण भी पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य द्वारा प्रायोजित संस्थाओं को केन्द्र से रूपये 3,472.08 करोड़ सीधे प्राप्त होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त जिला पंचायतों को भी केन्द्र से लगभग रूपये 3,100 करोड़ की अनुदान राशि विभिन्न योजना अंतर्गत प्राप्त होना अनुमानित है।

73. वर्ष 2008–09 में राज्य करों के अंतर्गत बिक्री–व्यापार आदि पर कर से रूपये 6,600 करोड़, राज्य उत्पाद शुल्क से रूपये 2,075 करोड़, स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क से रूपये 1,840 करोड़ एवं माल तथा यात्रियों पर कर से रूपये 1,200 करोड़ की प्राप्तियां अनुमानित हैं।

आयोजनेतर व्यय

74. आयोजनेतर व्यय का अनुमान रूपये 24,090.49 करोड़ है जो कुल व्यय का 61.08 प्रतिशत है। इसके अंतर्गत वेतन, पेन्शन तथा ब्याज भुगतान पर अनुमानित व्यय का राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 47.49 प्रतिशत है।

आयोजना व्यय

75. वर्ष 2008–09 के लिये आयोजना व्यय का बजट अनुमान रूपये 15,351.84 करोड है जिसमें राज्य आयोजना अन्तर्गत रूपये 13,448.94 करोड़ शामिल है। आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिये रूपये 3,056.37 करोड़ तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये रूपये 2,180.38 करोड़ का प्रावधान है। आयोजना व्यय का अनुमान कुल व्यय का 38.92 प्रतिशत है। आयोजना अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय रूपये 5,900 करोड़ है। इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 3.74 प्रतिशत है। इस दृष्टि से देश के 3 राज्यों में मध्य प्रदेश एक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों की वित्तीय स्थिति संबंधी अपने अध्ययन प्रतिवेदन में इसकी विशेष सराहना की है।

शुद्ध लेन देन

76. वर्ष 2008–09 की कुल प्राप्तियां रुपये 39,462.79 करोड़ तथा कुल व्यय रुपये 39,362.33 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन–देन रुपये 100.46 करोड़ होगा।

राजकोषीय स्थिति

77. कुल राजस्व व्यय रूपये 31,564.00 करोड़ एवं कुल राजस्व प्राप्तियां रूपये 34,403.78 करोड़ होने से राजस्व आधिक्य रुपये 2,839.78 करोड़

अनुमानित है। आगामी वर्ष में राजस्व आधिक्य की स्थिति निरंतर रहने का अनुमान है।

78. वर्ष 2008–09 के लिये राजकोषीय घाटे का अनुमान रुपये 4,741.00 करोड़ है। मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 अंतर्गत यह अपेक्षित है कि वर्ष 2008–09 में राजकोषीय घाटे का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत अधिकतम 3 होना चाहिये। राजकोषीय घाटा इस अपेक्षा के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर रहेगा।

79. ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात वर्ष 2007–08 के बजट अनुमान अनुसार 15.19 प्रतिशत था तथा वर्ष 2008–09 में इसके 13.05 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राजकोषीय सुधार के अंतर्गत इस अनुपात को वर्ष 2009–10 में अधिकतम 15 प्रतिशत होना चाहिये। इस तरह इस संकेतक में सुधार की दृष्टि से बारहवें वित्त आयोग द्वारा निश्चित लक्ष्य राज्य के द्वारा 2008–09 में ही प्राप्त कर लिया जायेगा।

80. राज्य के कुल ऋण दायित्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 31 मार्च, 2007 को 46.57 प्रतिशत था। पुनरीक्षित अनुमान अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2008 को यह अनुपात घटकर 44.49 प्रतिशत रहने तथा वर्ष 2008–09 के बजट अनुमान अनुसार इसके दिनांक 31 मार्च, 2009 को 43.65 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस अधिनियम के अनुसार 31 मार्च, 2015 को यह अधिकतम 40 प्रतिशत होना चाहिये। मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2012 को इस संकेतक के 40.22 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस संकेतक में हो रहे सुधार के अनुसार अधिनियम अंतर्गत अपेक्षित लक्ष्य की ओर राज्य अग्रसर है।

भाग–दो

अध्यक्ष महोदय

1. राज्य में वैट प्रणाली वर्ष 2006 से लागू की गई है। व्यवसायिक संगठनों व आम जनता से प्राप्त सुझावों के आधार पर राज्य सरकार व्दारा विगत 2 वर्षों में अनेक वस्तुओं पर वैट की दरों में कमी की गई है। राज्य सरकार का दृढ़ मत है कि जहां एक ओर करों का संग्रहण विकास की दृष्टि से आवश्यक है वहीं प्रदेश के आम नागरिकों पर करों का अत्याधिक बोझ न पड़े, इसका ध्यान भी रखा जाना चाहिए।

वैट

1.1 हमने चुनावी घोषणा पत्र में डीजल पर वैट को कम करने का वादा किया था। किसानों तथा आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वित्तीय वर्ष 07–08 के लिए डीजल पर वैट की दर 28.75 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत की गई थी। किये गये वादे के अनुसार पुनः वित्तीय वर्ष 08–09 के लिए डीजल पर वैट की दर 26 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे आगामी वित्तीय वर्ष में 85.00 करोड़ की हानि अनुमानित है। बढ़ती हुई मंहगाई को कुछ कम करने के लिए हमारे व्दारा अपनी सीमाओं में रहकर यह प्रयास किया गया है।

1.2 उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये निम्न वस्तुओं को वैट कर से मुक्त करने का प्रस्ताव है।

- कृपाण, हाथ का कड़ा (जिसका खुदरा मूल्य रूपये 500 से अधिक न हो),
- धार्मिक संस्थाओं व्दारा दिये जाने वाले प्रसाद, भोग या महाभोग,
- धार्मिक चित्र जिनका केलेण्डर के रूप में उपयोग न हो,

- कपूर,
- गोमूत्र एवं उससे बने सभी उत्पाद,
- पका हुआ दलिया,
- सत्तू, पंजीरी एवं मुरमुरा, बताशा एवं मिश्री,
- भुने/तले/पार्च्ड चने
- बिना मार्का की झाड़ू,
- पशुओं की नाल,
- केरोसीन लालटेन, केरोसीन लेम्प एवं केरोसीन चिमनी एवं उनके पुर्जे, हस्त निर्मित मोमबत्ती, सौर चूल्हे,
- छाते एवं उनके पुर्जे,
- बांस से बनी टोकरी, एवं टाटपट्टी
- लोहे से बना घमेला, तसला एवं तगाड़ी,
- खाद्य उपयोगी गोंद,
- स्प्रिंकलर्स एवं ड्रिप सिंचाई में लगने वाले उपकरण (पाईप एवं मोटर को छोड़कर)

उपर्युक्त छूट से रूपये 1.82 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

1.3 जन सामान्य के उपयोग में आने वाले प्लास्टिक के जूते एवं चप्पल जिनका खुदरा मूल्य 150 रूपये था, को कर मुक्त रखा गया था। अब मध्य प्रदेश में विनिर्मित सभी प्रकार के जूते/चप्पल एवं उनके स्ट्रेप्स जिनका अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य रूपये 250 से अधिक न हो, को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। इससे रूपये 1.55 करोड़ राजस्व हानि अनुमानित है।

1.4 स्थानीय व्यापार तथा उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये निम्न वस्तुओं पर वैट की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

- प्री रिकार्डेड ऑडियो कैसेट एवं प्री रिकार्डेड ऑडियो सी.डी.,
- हेलमेट,
- सभी प्रकार का प्लायवुड, ब्लाक बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड,
- फोम एवं प्लास्टिक फोम एवं रबर फोम या अन्य सिन्थेटिक फोम से बने शीट्स,
- सभी प्रकार के सी एफ एल बल्ब/ट्यूब जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य 100 रूपये या उससे कम हो,
- अर्थ मूविंग मशीनें, उपकरण उनके पार्टस एवं अटेचमेंट सहित,
- सभी प्रकार के दुपहिया इलेक्ट्रिक/बैट्री चलित वाहन, जिसमें इण्टरनल कम्बश्न इंजिन का उपयोग नहीं होता है,
- इलेक्ट्रिकल इनर्जी मीटर्स,
- एल्यूमीनियम प्रोफाईल्स एवं एक्सुट्रजन्स,

इससे कुल रूपये 30.87 करोड़ की हानि संभावित है।

1.5 पुरानी एवं उपयोग की गई कारों के राज्य में ही विक्रय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, इनके विक्रय पर वैट की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे रूपये 10.00 लाख की राजस्व हानि अनुमानित है।

इस प्रकार वैट दरों में कमी के प्रस्तावों के कारण राजस्व में कुल रूपये 119.33 करोड़ की कमी होगी।

2. प्रवेश कर –

नगरीय अधोसंरचना विकास एवं सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार व्दारा स्थानीय निकायों के सहयोग से अनेक परियोजनाएं संचालित की जाती है। प्रवेश कर मद में प्राप्त राजस्व स्थानीय निकायों के लिए एक

महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन है। हमारे व्दारा अपनी सीमाओं में रहते हुए प्रवेश कर के संबंध में भी जन सामान्य के हितों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिये गये हैं।

- प्रदेश में स्थापित सूत एवं कपड़ा मिलों की समस्याओं एवं निर्यात के अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा में बने रहने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रकार के सूत या कपड़े में युक्त होने वाले कपास/रूई या अन्य मानव निर्मित रेशे को प्रवेश कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। इससे रूपये 20.10 करोड़ की राजस्व हानि संभावित है।
- इण्डक्शन फर्नेश में निर्माण की प्रकिया में कच्चे माल के रूप में स्पंज, आयरन तथा आयरन स्क्रेप का उपयोग होने पर ऐसे कच्चे माल को प्रवेश कर से मुक्त रखना प्रस्तावित है। इससे रूपये 0.50 करोड़ की राजस्व हानि संभावित है।

3. वृत्तिकर

भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वादे की पूर्ति के लिए हमारी सरकार व्दारा वृत्ति कर की दरों का पुनः युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही वृत्ति कर में छूट की सीमा रूपये 40,000 के बढ़ाकर 76,000 की थी, जिससे लघु आय वर्ग के कर दाताओं को काफी राहत पहुंची थी। अब राज्य सरकार व्दारा रूपये 1.20 लाख प्रतिवर्ष तक की आय वाले कर दाताओं को पूर्णतः वृत्तिकर से मुक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही रूपये 1.20 लाख से अधिक परन्तु रूपये 1.50 लाख से कम वार्षिक आय वर्ग के कर दाताओं पर वृत्तिकर का भार 1500 रूपये से घटाकर 1000 रूपये एवं 1.50 लाख से अधिक किन्तु रूपये 1.80 लाख से कम वार्षिक आय वर्ग के कर दाताओं पर वृत्तिकर का भार रूपये 2500 से घटाकर 1500 रूपये किया जाना प्रस्तावित है।

वृत्ति कर की दरों में उक्तानुसार युक्तियुक्तकरण के परिणाम स्वरूप इस मद में प्राप्त राजस्व में रूपये 56.00 करोड़ की कमी अनुमानित है।

4. स्टाम्प ड्यूटी

प्रदेश में स्थाई सम्पत्ति के हस्तान्तरण के दस्तावेजों पर लगने वाली स्टाम्प शुल्क की दरों में 0.5 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। इससे अधिक से अधिक व्यक्ति सम्पति हस्तान्तरण के दस्तावेजों का पंजीयन कराने हेतु प्रेरित होंगे।

स्टाम्प शुल्क की दरों में कमी के कारण वित्त वर्ष के दौरान रूपये 90.00 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

5. मोटरयान कर

वर्तमान में मोटरयान कर की दर सभी मार्गों के लिये रूपये 160 प्रति सीट प्रतिमाह निर्धारित है। प्रमुख मार्गों पर यातायात अधिक होने से इन मार्गों पर यात्री वाहनों का संचालन अपेक्षाकृत अधिक लाभ का व्यवसाय है परन्तु ग्रामीण मार्गों पर यातायात कम होने से इन मार्गों पर यात्री वाहनों का संचालन अपेक्षाकृत कम लाभप्रद है। अतः यह प्रस्तावित है कि मोटरयान कर की दरों का युक्तियुक्तकरण करते हुये निम्नानुसार दरें लागू की जाना प्रस्तावित हैं :–

- वर्तमान में राष्ट्रीयकृत 171 मार्ग जो प्रमुख मार्ग हैं, के लिये वर्तमान में प्रचलित मोटरयान कर रूपये 160/– प्रति सीट प्रतिमाह की दर के स्थान पर रूपये 240/– प्रति सीट प्रतिमाह निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।
- ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाले दूरस्थ मार्गों के लिये रूपये 120/– प्रति सीट प्रतिमाह की दर प्रस्ताावित है। दूरस्थ मार्ग से अभिप्राय ऐसे मार्गों से है जो किसी ग्राम को नगर निगम, नगर पालिका

अथवा नगर पंचायत में से किसी एक को जोड़ते हुये तथा एक एकल फेरे में नगर निगम नगर पालिका या नगर पंचायत एकबार से अधिक न आयें। परन्तु यदि कोई वाहन इस प्रकार प्रचालित होता है कि वह राष्ट्रीय राज्य मार्ग अथवा राज्य मार्ग (लोक निर्माण विभाग की परिभाषा के अनुसार) में 20 किलो मीटर से अधिक हेतु उसे दूरस्थ मार्ग नहीं समझा जायेगा।

- उपरोक्त दोनों श्रेणी के मार्गों को छोड़कर शेष सभी जो सामान्य मार्ग हैं पर मोटरयान कर की दर रूपये 160 प्रति सीट प्रतिमाह प्रस्तावित है।
- आरक्षित (रिजर्व) बसों पर रूपये 120/– प्रति सीट प्रतिमाह की दर से मोटरयान कर देय होगा।

प्रस्तावित युक्तियुक्तकरण से आगामी वर्ष में रूपये 25 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

6. आबकारी शुल्क

प्रदेश में विदेशी मदिरा स्प्रिट, बीयर तथा रेक्टीफाईड स्प्रिट के उत्पादन एवं निर्यात पर लागू विभिन्न शुल्कों में अनेक वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः राजस्व आय में वृध्दि के उद्देश्य से इन पदार्थों के उत्पादन पर लागू विभिन्न शुल्कों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जा रहा है :–

- वर्तमान में विदेशी मदिरा स्प्रिट के निर्यात पर रूपये 0.50 प्रति प्रूफ लीटर, बीयर पर रूपये 0.46 प्रति बल्क लीटर एवं रेक्टीफाईड स्प्रिट पर रूपये 0.30 प्रति बल्क लीटर निर्यात फीस निर्धारित है। इसे बढ़ाकर स्प्रिट के लिए रूपये 1.00 प्रति प्रूफ लीटर एवं बीयर तथा रेक्टीफायड स्प्रिट के लिए रूपये 1.00 प्रति बल्क लीटर किया जा रहा है। इससे रूपये 385.00 लाख का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना सम्भावित है।

- स्थानीय इकाईयों व्दारा विदेशी मदिरा स्प्रिट के निर्माण पर रूपये 0.30 प्रति प्रूफ लीटर की बाटलिंग फीस निर्धारित है। इसे बढ़ाकर 2.00 रूपये प्रति प्रूफ लीटर किया जा रहा है। इससे रूपये 221.00 लाख की अतिरिक्त आय सम्भावित है।
- राष्ट्रीय स्तर के विदेशी मदिरा निर्माताओं के व्दारा, राज्य के बाहर निर्यात करने के उद्देश्य से प्रदेश में बाटलिंग करने पर रूपये 2.00 प्रति प्रूफ लीटर की बाटलिंग फीस निर्धारित है। इसे बढ़ाकर रूपये 10.00 प्रति प्रूफ लीटर किया जा रहा है। इससे लगभग रूपये 680.00 लाख का अतिरिक्त राजस्व मिलना सम्भावित है।
- राज्य के बीयर निर्माताओं व्दारा बीयर की बाटलिंग पर वर्तमान में रू. 0.08 प्रति बल्क लीटर बाटलिंग फीस निर्धारित है। इसे बढ़ाकर रूपये 1.00 प्रति बल्क लीटर किया जा रहा है। इससे रूपये 280.00 लाख की अतिरिक्त आय सम्भावित है।
- राष्ट्रीय स्तर के विनिर्माताओं व्दारा मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय के उद्देश्य से राज्य में बीयर की बाटलिंग करने पर रूपये 3.85 प्रति बल्क लीटर की बाटलिंग फीस निर्धारित है। इसे बढ़ाकर रूपये 6.00 प्रति बल्क लीटर किया जा रहा है। इससे शासन को लगभग रूपये 322.00 लाख का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
- राष्ट्रीय स्तर के विनिर्माताओं व्दारा राज्य के बाहर निर्यात के उद्देश्य से प्रदेश में बीयर की बाटलिंग करने पर वर्तमान में रूपये 0.38 प्रति बल्क लीटर की बाटलिंग फीस निर्धारित है, जिसे बढ़ाकर रूपये 2.00 प्रति बल्क लीटर किया जा रहा है। इससे रूपये 178.00 लाख का अतिरिक्त राजस्व सम्भावित है।

इस प्रकार आबकारी विभाग के शुल्क वृध्दि के प्रस्तावों से वर्ष के दौरान रूपये 20.66 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

7. करों में छूट के प्रस्तावों के कारण वित्तीय वर्ष की राजस्व आय में कुल रूपये 286 करोड़ की हानि अनुमानित है। यात्री कर दरों में

युक्तियुक्तकरण तथा आबकारी शुल्क वृद्धि के प्रस्तावों से रूपये 45.66 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अनुमानित है। इस प्रकार इन प्रस्तावों से राजस्व में कुल हानि रूपये 245.34 करोड़ अनुमानित है।

8. अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हम गर्व कर सकते हैं गत चार वर्ष की उपलब्धियों पर। यह हमने हासिल की हैं बुलन्द हौसलों से और अदम्य आत्म विश्वास से।

'' ये कैंचियां खाक रोकेगी, हमें उड़ने से,
हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं। ''

हम हर वर्ष पड़ाव पर पड़ाव जीते हैं किन्तु मंजिल अभी भी दूर है। हम मजबूती से मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हमने प्रदेश को इतनी मजबूती दी है कि अब विश्वास के साथ कह सकते हैं–

'' कहो आंधियों से आये, कहो बर्क से आये।
ये रहा मेरा नशेमन, कोई आंख उठाये ।।

मैं अपने बजट भाषण का समापन श्री अटल जी की निम्न पंक्तियों से करता हूँ :–

'' एक हाथ में सृजन,
दूसरे में हम प्रलय लिये चलते हैं,
सभी कीर्ति ज्वाला में जलते,
हम अंधियारे में जलते हैं।
आंखों में वैभव के सपने,
पग में तूफानों की गति हो,
प्रदेश भक्ति का ज्वार न रूकता
आये जिस–जिस की हिम्मत हो ।।

जय भारत– जय मध्यप्रदेश